

उपरोक्तानुसार भवन में सैटबैक एन0बी0सी0 2005 एवं भवन निर्माण व विकास उपविधि 2008 के अनुसार प्रस्तावित है। इसे हमेशा अवरोध मुक्त रखा जाये इसमें किसी भी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।


4. **निकास मार्ग** – प्रस्तावित भवन में तीन स्टेयर केस है जिनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 1.50 मीटर प्राविधानित है तथा भवन में तीन लिफ्टों का भी प्राविधान है।

5. **अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएँ** – भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 2005 के मानकों के अनुसार प्रस्तावित की जाती है।

1. **टैरिस टैंक** :- भवन के टैरिस पर 25,000 लीटर क्षमता का टैरिस टैंक व 900 एल0पी0एम0 क्षमता का टैरिस पम्प स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
2. **होजरील** :- भवन के प्रत्येक तल पर होजरील, लेण्डिंग वाल्व, होज बाक्स, होजपाइप मय ब्रॉच प्राविधानित है।
3. **हस्तचालित फायर एलार्म सिस्टम** :- भवन में हस्तचालित फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।
4. **स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम** :- भवन में ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।
5. **फायर सर्विस इन्लेट** :- भवन के भूतल पर मानक के अनुसार फायर सर्विस इन्लेट प्राविधानित है।
6. **फायर एक्सटिंग्यूशर** :- भवन के प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0 2190 के अनुसार प्राविधानित है।
7. **स्मॉक एक्सट्रैक्शन सिस्टम** :- भवन में स्मॉक एक्सट्रैक्शन सिस्टम एन0बी0सी0 2005 के मानकों के अनुसार प्राविधानित है।
8. **एग्जिट साईनेज** :- सम्पूर्ण भवन के प्रत्येक तल पर एग्जिट साईनेज प्राविधानित है।
9. **पी0ए0 सिस्टम** :- सम्पूर्ण भवन के प्रत्येक तल पर पी0ए0 सिस्टम प्राविधानित है।

आवेदक द्वारा प्रस्तावित भवन की स्थिति में संलग्न मानचित्र के अतिरिक्त भवन निर्माण की स्थिति में एन0बी0सी0 2005 एवं भवन व विकास उपविधि 2008 के अनुसार ही अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएँ कराया जाना अनिवार्य होगा।

अतः उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबन्धों एवं अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन केन्द्र भूतेश्वर, मथुरा की संस्तति सहित निरीक्षण आख्या को दृष्टिगत रखते हुये तथा राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 एवं भवन व विकास उपविधि 2008 उ0 प्र0 में उल्लिखित नियमों का कड़ाई से पालन किए जाने की दशा में प्रबन्धक/मालिक ओमेक्स लिमिटेड, छटीकरा- वृन्दावन रोड, वृन्दावन, मथुरा को भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस आशय से निर्गत किया जाता है कि भवन निर्माण के पश्चात् एवं प्रयोग में लाने से पूर्व उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन अग्निशमन विभाग के सक्षम अधिकारी से कराकर जनहित में पूर्ण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं प्रबन्धक की होगी। यदि निरीक्षण के दौरान कोई त्रुटि पाई जाती है तो यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।


25/07/18

(दीपक शर्मा)

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
मथुरा

प्रतिलिपि :-

1. सचिव मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन केन्द्र, भूतेश्वर, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।